महत्वपूर्ण एवं खास

करंट की चपेट में आकर 2 भैंस व एक युवक की मौत

रायपुर (आरएनएस)। करंट की चपेट में आने से 2 मवेशियों व एक युवक की मौत हो जाने की रिपोर्ट गुढ़ियारी थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार गुढ़ियारी गोगांव तालाब के पास ट्रांसफार्मर का अर्थिंग वायर,जमीन की सटे होने की वजह से अचानक इसमें काफी करंट आ आ गया। ट्रांसफार्मर के आस-पास उगे घास खा रही दो भैंस करंट के चपेट में आ गई। तभी तालाब से नहा कर घर जा रहे प्रकाश साहू 27 वर्ष की नजर इन भैसों पड़ी तो वह रुककर इन्हे भगाने की कोशिश करते हुए उनके पास पहुंच गया व वह भी करंट की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई। दोनों भैसों को पशु पालन विभाग को पोस्मार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं युवक को पोस्टमार्टम के लिए अंबेडकर अस्पताल भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव घर वालों को सौंपा जाएगा।

घर के बाहर टहल रही महिला का मोबाईल फोन झपटकर एक्टीवा सवार भागे, जुर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। घर के बाहर पैदल टहल रही महिला के हाथ से मोबाईल खींचकर एक्टीवा सवार भाग गए। मामले की रिपोर्ट सिविललाईन थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार टेलिफोन एक्सचेंज के पास सिविललाईन रायपुर निवासी रितेंश जिंदल 41 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 13 जून को शाम 06 बजे प्रार्थी अपनी भाभी सुध अग्रवाल के साथ केनाल रोड आनंदनगर चौक के पास टहल रहा था तभी उसके भाभी के हाथ से 1 नग आईफोन एक्स कीमत करीब 40 हजार रुपये को खींचकर एक्टीवा सवार 2 अज्ञात व्यक्ति भाग गए। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 379,34 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

एक लाख रूपए के अवैध लकड़ी सहित वाहन जप्त

रायपुर (आरएनएस)। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार राज्य में वनों की सुरक्षा तथा वृक्षों की अवैध कटाई एवं परिवहन पर नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा सतत् अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में वनमंडल रायपुर अंतर्गत 13 जून को रात्रि गश्त के दौरान विभागीय टीम द्वारा ग्राम मानपुर तुलसी चौक के पास लगभग 01 लाख रूपए मूल्य की लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए एक माजदा वाहन को जप्त किया गया। उक्त कार्रवाई मुख्य वन संरक्षक के.आर.नायक और वनमंडलाधिकारी रायपुर विश्वेश कुमार झा के निर्देशन में सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी तिल्दा दीपक तिवारी के नेतृत्व में की गई। जप्त वाहन माजदा क्रमांक सी जी 04 जे.ए. 1178 को काष्ठागार तिल्दा लाया गया है।

नारायणपुर पुलिस ने किया माओवादी के एक स्मारक ध्वस्त तथा हथियार बनाने का सामान नष्ट

नारायणपुर (आरएनएस)। सुन्दरराज पी., पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज, विनीत खन्ना, उप पुलिस महानिरीक्षक कांकेर रेंज, मोहित गर्ग पुलिस अधीक्षक नारायणपुर, नीरज चन्द्राकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर एवं अर्जुन कुर्रे, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी छोटेडोंगर के निर्देशन में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, इसी तारतम्य में दिनांक 13.06.2021 को कड़ेमेटा से डीआरजी की पुलिस पार्टी को ग्राम बेचा, गुमटेर, आदेरबेड़ा, ईरपानार, पुगांरपाल की ओर रवाना किया गया था। दिनांक 14.06.2021 को पुलिस पार्टी द्वारा गश्त सर्चिंग के दौरान आदेरबेड़ा जंगल में माओवादी नक्सलियों का स्मॉरक मिला जिसे पुलिस पार्टी द्वारा ध्वस्त किया गया तथा आदेरबेड़ा जंगल में माओवादी नक्सलियों का कैम्प में हथियार बनाने का सामान मिला, जिसे पुलिस पार्टी द्वारा घटना स्थल में ही नष्ट किया गया।

वर्मी कम्पोस्ट और केंचुआ बेचकर समूह की महिलाओं ने कमाया 6 लाख 51 हजार, आय के नए साधन जुटाने में किया खर्च

रायगढ़ । रायगढ़ जिले के एक महिला स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती शारदा मालाकार ने आज वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताया कि वर्मी कम्पोस्ट और केंचुआ बेचने से उनके समूह को लगभग 6 लाख 51 हजार रुपए की आमदनी हुई है। इसमें समूह को 657 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री से 1 लाख 51 हजार और 19 क्विंटल केंचुआ की बिक्री से 5 लाख रूपये की आय हुई है। श्रीमती मालाकार ने बताया कि इस राशि का उपयोग उन्होंने समूह से जुड़ी महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और आय के साधन बढ़ाने के लिए नए उपकरणों की खरीदी में उपयोग किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि कुछ पैसों से समूह ने गोबर

से गमला बनाने की मशीन भी खरीदी है। मुख्यमंत्री बघेल ने श्रीमती शारदा मालाकार एवं उनके समूह के सदस्यों को इस उपलब्धि के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

मोबाइल मेडिकल यूनिट से घरों के नजदीक मिल रही है इलाज की सुविधा- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जब वर्चुअल कार्यक्रम में हितग्राहियों से चर्चा के दौरान रायगढ़ जिले में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना से लाभान्वित श्रीमती मंजू शर्मा ने बताया कि उनके मोहल्ले में मोबाइल मेडिकल यूनिट सप्ताह में 1 दिन सुबह 8 बजे से 3 बजे तक अपनी सेवाएं देता है, जिससे लगभग 60 से 70 मरीजों को उपचार और परामर्श मिलता है। उन्होंने बताया कि मेडिकल मोबाइल यूनिट में इलाज के साथ ही निःशुल्क दवाईयां भी दी जाती है। इस यूनिट में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ सेवाएं दी जाती हैं। इसके अलावा ब्लड, शुगर टेस्ट की सुविधा भी मिलती है।

मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से बढ़ा एचबी लेवल- इस दौरान रायगढ़ की सुश्री प्रीति शाह ने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से उनको मिले लाभ का अनुभव साझा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री बघेल को बताया कि पहले उनके खून में एचबी लेवल 8.2 था। योजना के अंतर्गत उन्हें पोषण आहार मिला। जिसके सेवन से उनका एचबी बढ़कर 10.5 हो गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने उन्हें योजना का आगे भी लाभ लेते रहने तथा दूसरों को भी इसके फायदे बताने के लिये कहा।

जवाफूल चावल विक्रय से कमाये 4 लाख रुपये, मुख्यमंत्री ने कहा राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिलेगा अतिरिक्त लाभ- चर्चा के दौरान लैलूंगा के जतिराम भगत ने बताया कि सुगंधित जवाफूल चावल विक्रय कर उन्होंने 4 लाख रुपये कमाया है। मुख्यमंत्री बघेल ने उन्हें बधाई देते हुये कहा कि उन्हें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान ग्राम-भगोरा के जीवर्धन देहरी ने बताया कि उनके गांव में 242 हेक्टेयर में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र मिला है। जिस पर अभी फलदार तथा अन्य वृक्षारोपण करने की योजना है। मुख्यमंत्री बघेल ने उन्हें बधाई देते हुये अधिक से अधिक पेड़ लगाने तथा उन्हें संरक्षित करने के लिये प्रोत्साहित किया।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित अन्य हितग्राहियों से भी उनके अनुभव जाने तथा उन्हें बधाई देते हुये अपनी शुभकामनायें दी।

टूलकिट मामलाः हाईकोर्ट ने फिलहाल पुलिस कार्यवाही पर लगाई रोक

रायपुर (आरएनएस)। टूलकिट मामले में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को हाईकोर्ट से राहत मिली। इस मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक फिलहाल पुलिस की पूरी कार्यवाही पर रोक लगा दी।

ज्ञात हो कि न्यायाधीश नरेंद्र व्यास की हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर शुक्रवार को याचिका दायर की गई थी जिसमें एफआईआर को पूर्वाग्रह और राजनीति से प्रेरित बताते हुए अंतरिम राहत मांगी गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन को चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, वहीं अंतरिम राहत के मामले पर निर्णय सुरक्षित कर लिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विवेक शर्मा ने जानकारी दी है कि हाईकोर्ट ने सिविल लाईस थाने में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने अपने आदेश में यह माना है कि विवेचना को जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दूरपयोग होगा। कोई अपराधिक प्रकरण नहीं बनता है और पूरी कार्यवाही राजनैतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित लगती है।

पत्थर खुदाई के दौरान फिर गई एक ग्रामीण की जान

सूरजपुर (आरएनएस)। जिले के खनिज विभाग पर लगातार अनिमियता बरते जाने का आरोप लगते ही रहा है। खनिज विभाग के सरंक्षण में बड़े पहाड़ो की खुदाई दिन दहाड़े बदस्तूर जारी है। जिन पर खनिज विभाग को रोक लगाने के बजाय सरंक्षण दिए हुए है जिसका खामियाजा आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों को जान से हाथ धोना पड़ा है।

एक बार फिर इस वर्ष एक ग्रामीण का पत्थल खुदाई के दौरान दबने से मौत हुई है। वहीँ एक ग्रामीण अपनी जान गवांते हुए बाल बाल बचा है। प्रशासन ने मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपये का आर्थिक सहयोग किया है।

घटना 13 जून का है। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम देवीपुर पहाड़ में रविवार के शाम को पत्थल खोदते हुऐ देवीपुर निवासी के दो लोग देवीपुर पहाड़ में पत्थल की खुदाई कर रहे थे तभी अचानक पहाड़ धसकने से मलबा उन पर गिर गया। इसमें एक व्यक्ति रंगलाल तो चटटान के अंदर ही दब गया और उसकी मौत हो गई। वहीं उसका साथी लोहागीर किसी तरह निकल गया और गांव वालों को घटना की जानकारी दी।

सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी धर्मानंद शुक्ला एवं सूरजपुर एसडीएम पुष्पेन्द्र शर्मा दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने पहाड़ में दबे मृतक का शव लोगों की मदद से बाहर निकलवाया तथा पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रशासन ने प्रदान कर दी है। वहीँ पिछले वर्ष जून माह 2020 में ही देवीपुर में पत्थल खोदते वक्त ग्राम कोट के उरांवपारा का निवासी 30 वर्षीय कलिंदर रोज की भांति पत्थर उत्खनन कार्य करने देवीपुर के पत्थर खदान में पहुंचा और पत्थर निकालते वक्त खदान धसकने से पत्थर का एक चट्टान इसके ऊपर आ गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थीं।

तेंदुआ खाल की तस्करी करता आरोपी गिरफ्तार

» बोरई पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा

धमतरी (आरएनएस)। धमतरी जिले के बोरई पुलिस ने आज एक तेंदुआ खाल के साथ एक आरोपी को मारीगांव से मैनपुर तिराहा के पास घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी के पास से

थाना प्रभारी बोरई को आज मुखबिर से सूचना मिली कि टीवीएस वाहन में एक व्यक्ति अवैध रूप से वन्य प्राणी की खाल का सौदा करने की फिराक में हैं तथा मारीगांव (उड़ीसा बॉर्डर) से मैनपुर की ओर आ रहा है। उक्त सूचना मिलने पर

वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। जिनके दिशा निर्देश तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नगरी नीतिश ठाकुर के नेतृत्व में थाना प्रभारी बोरई सहायक उपनिरीक्षक देवनाथ सिन्हा तत्काल अपनी टीम के साथ मुखबिर सूचना की तस्दीक कर वैधानिक कार्यवाही करने रवाना हुए।

उक्त टीम के द्वारा सुरक्षा प्रबंध के साथ मुखबिर के बताए अनुसार मारीगांव से मैनपुर की ओर तिराहा में घेराबंदी की गई। संदेही टीवीएस वाहन चालक पुलिस को देखकर तेज रफ्तार से चलाकर भागने की कोशिश किया जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम विद्याभूषण गोंड़ बताया, जिसके वाहन में सामने रखी सफेद हल्की मटमैली रंग की खाद बोरी की विधिवत तलाशी ली गई। खाद बोरी में तेंदुआ की खाल जैसा खाल जिसकी लंबाई सिर से पुंछ तक 106 इंच तथा चौड़ाई 23 इंच बरामद किया, जिसकी कीमत करीबन 05 लाख 50 हजार रूपये आंकी गयी है। पूछताछ पर आरोपी ने संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया। मौके में वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपी द्वारा प्रयुक्त टीवीएस वाहन को जप्त कर आरोपी विद्याभूषण गोंड पिता सोहराय गोंड 24 वर्ष निवासी देवभारन थाना रायघर जिला नबरंगपुर (उड़ीसा) को गिरफ्तार किया गया तथा उसके विरुद्ध थाना बोरई में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39(1)(2), 51, 52 तथा लोक संपत्ति का नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

उक्त संपूर्ण कार्यवाही पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नगरी नीतिश ठाकुर के नेतृत्व में थाना बोरई के सहायक उपनिरीक्षक देवनाथ सेना एवं उनकी टीम का सराहनीय योगदान रहा।

सब्जी से भरे ट्रक में मिला 2 करोड़ 20 लाख रुपयें का गांजा

महासमुंद (आरएनएस)। महासमुंद पुलिस ने सोमवार को मुखबीर की सूचना पर एक सब्जी से भरे ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। अवैध रूप से परिवहन किये जा रहे गांजे की कीमत 2 करोड़ 20 लाख रूपए बताई जा रही है। मामलें में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है तथा उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को महासमुंद पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि अवैध मादक पदार्थ गांजा का एक बड़ा खेप महासमुन्द होते हुए उत्तर प्रदेश व दिल्ली की ओर जाने वाला है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कोमाखान प्रभारी सिद्धेश्वर प्रताप सिंह को त्वरित कार्यावाही करने हेतु निर्देशित किया व महासमुंद जिले में प्रवेश करने वाले समस्त पाईटों पर बल तैनात कर संदिग्ध वाहन की जांच कर रही थी तभी खरियाररोड़ की तरफसे टाटा की 6 चक्का ट्रक क्रमांक पीवी सीटी 3412 महासमुन्द की ओर आ रही थी। जिसे टेमरी नाका के पास घेराबंदी कर रोका गया व वाहन की तलाशी ली गयी। वाहन में 2 लोग बैठे मिले। दोनों ने अपना नाम देवेन्द्र सिंह पिता रमेश चन्द्र सिंहउम्र 30 वर्ष निवासी हीरपुर थाना गोंड़ा जिला अलीगढ़ एवं गुड्डु पिता बलबीर सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी बाढ़ोना थाना लोधा जिला अलीगढ़ उप्र का होना बताया।

हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह व भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को मिली राहत

» कोर्ट ने एफआईआर और विवेचना पर लगाई रोक

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टूल किट विवाद में भाजपा नेताओं को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने एफआईआर और विवेचना पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से जवाब पेश करने के लिए कहा है। जवाब आने के बाद मामले की सुनवाई होगी।

डॉ.रमन सिंह की ओर से

बीजेपी के राज्यसभा सदस्य और अधिवक्ता महेश जेठमलानी, विवेक शर्मा, गैरी मुखोपाध्याय ने पैरवी की है। इससे पहले शुक्रवार को हुई सुनवाई में अधिवक्ताओं ने कहा था कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। इस पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। जिसके बाद कोर्ट ने आवेदन पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। फिलहाल दोनों नेताओं को अंतरिम राहत दी गई है। फैसला जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच से आया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर याचिका भी लगाई है।

ज्ञात हो कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 18 मई को अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का कथित लेटर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि इसमें देश का माहौल खराब करने की तैयारी की प्लानिंग लिखी है। साथ ही लिखा गया कि विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने दुष्प्रचार और जलती लाशों की फोटो दिखाने का कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है। ऐसी ही पोस्ट संबित पात्रा ने भी की थी। इसके बाद युवा कांग्रेस के नेताओं ने रमन सिंह व संबित पात्रा पर रायपुर के सिविल लाईन थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी शुक्ल्ले एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता फैला करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

छत्तीसगढ़ में अब मछुआरों को भी मिलेगा उत्पादन बोनस

» 20 हेक्टेयर तक के जलक्षेत्र वाले एनीकट में स्थानीय मछुआरे कर सकेंगे निःशुल्क मत्स्याखेट

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन मछली पालन नीति का प्रस्ताव तैयार करने के लिए गठित समिति की बैठक आज कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चैबे की अध्यक्षता में उनके रायपुर स्थित निवास कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में नवीन मछली पालन नीति में राज्य के मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिए जाने की अनुसंशा की गई है। उत्पादकता बोनस राज्य के जलाशयों को पट्टे पर दिए जाने से होने वाली आय का 40 प्रतिशत होगा, जो मत्स्याखेट करने वाले मछुआरों को दिया जाएगा। नवीन मछलीपालन नीति में राज्य के ऐसे एनीकट, जिनका जलक्षेत्र 20 हेक्टेयर तक है, उन्हें मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर नहीं दिए जाने का प्रस्ताव समिति ने किया है। ऐसे एनीकट स्थानीय मछुआरों के मत्स्याखेट के लिए निःशुल्क उपलब्ध होंगे। मछुआ जाति के लोगों की सहकारी समिति को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जलाशयों को मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। आदिमजाति मछुआ सहकारी समिति, मछली पालन एवं मत्स्य विपणन के कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकें, इसको ध्यान में रखते हुए आदिम जाति मछुआ सहकारी समिति में 30 प्रतिशत सदस्य मछुआ जाति के होंगे। समिति के उपाध्यक्ष का पद भी मछुआ जाति के लिए आरक्षित रहेगा।

नवीन मछली पालन नीति में समिति ने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के तालाबों/जलाशयों को अब 6 माह के बजाय 3 माह के भीतर आबंटन की कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव किया है। उक्त अवधि के बाद पंचायत की अनुशंसा के बिना नियमानुसार पट्टा आबंटन का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी (जिले के कलेक्टर) को होगा। मछली बीज की गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण हेतु राज्य में मत्स्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम बनाया जाएगा, जो मत्स्य बीज उत्पादन हेतु निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगा। निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक हेचरी एवं संवर्धन प्रक्षेत्रों के निर्माण को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य में उपलब्ध 50 हेक्टेयर से अधिक जलक्षेत्र के जलाशय जिन्हें दीर्घावधि के लिए पट्टे पर दिया गया है, उन जलाशयों में केज कल्चर के माध्यम से मछली उत्पादन के लिए केज स्थापित करने हेतु अधिकतम 2 हेक्टेयर जलक्षेत्र पट्टे पर दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चैबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में मछुआरों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नवीन मछली पालन नीति तैयार की जा रही है।